

Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर
सुमेस्ता बनाम बिरखा आदि

न मुकदमा 88-92ए-53-188 आरटीएक्ट,

नम्बर 183 सन 2024

जी.सी.एम.एस. आईडी 2024/401

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इणिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए</p>
<p>2.2024</p>	<p>वादी सुमेस्ता पुत्री दयालाराम जाति नायक साकिन 13 के.एन.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ की ओर से श्री अशोक नायक अधिवक्ता ने वाद-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली 29.01.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर</p> <p>29/1/25 वकील पक्षकारान हाजिर श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 7/1/25 को पेश हो</p> <p><i>उपरोक्त आदि पत्रावली वादी के जरिये करीब अतिवृत्त हुआ है। पत्रावली पेश की जा रही। नतीजा का निर्देश दिया गया कि वादी एवं अधिवक्ता के समम जो अदालत रायसिंहनगर के अंतर्गत कसबा चौक है। वस पत्रावली एवं पत्रावली के वर्ष के दिनांक की जावे।</i></p> <p><i>प्रमाण/वादिना के वाद पत्र के वादिना के रूप में व. हस्तावेधों के आधार पर वाद पत्र विद्वी करि के हस्तावेध सुस्ता की जावे है पत्रावली निमित्त विद्वी करि के एक है। नतीजा सुस्ता राय</i></p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर</p>	<p>1147 17/12/24</p> <p>सुमेस्ता Authenticated by</p> 

